महत्वपूर्ण एवं खास

ओपन स्कूल परीक्षा के लिए उड़नदस्ता दल गठित

रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर द्वारा 25 मार्च 2019 से 8 अप्रैल 2019 तक एवं 27 अप्रैल 2019 से 3 मई 2019 तक आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा मुख्य/अवसर परीक्षा मार्च अप्रैल 2019 हेतु 11 परीक्षा केन्द्रों में आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए उड़न दस्त गठित किया गया है।

किले में तब्दील हुआ कलेक्टोरेट, नामांकन के लिए 4 चरणों में सुरक्षा

रायगढ़। लोकसभा चुनाव में नामांकन के दौरान समर्थकों की भीड़ या किसी अनहोनी की आशंका जिला प्रशासन डर गया है। यही कारण है कि कलेक्टोरेट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाकर पूरे कार्यालय को किले में तब्दील कर दिया गया है और नामांकन दाखिल करने के लिए 4 चरणों की सुरक्षा से होकर ही प्रत्याशी रिटर्निंग अफसर तक पहुंच सकेगा।

रायगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए अभी राजनैतिक माहौल शांत पड़ा हुआ है। पार्टियों के प्रचार प्रसार ने अभी रंग नहीं पकड़ा है और चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था में भी किसी तरह की अड़चन नहीं आई है लेकिन इस बार प्रशासन ने एहतिहातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। विस चुनाव में शांति पूर्ण मतदान एवं नामांकन संपन्न होने के बाद अब लोकसभा में प्रशासन ने सुरक्षा संबंधी उपायों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके लिए कलेक्टोरट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गुरूवार से नामांकन दाखिल करने वाले को पहले चक्रधरनगर थाने के सामने सुरक्षा घेरे से होकर जाना होगा। इसके 50 मीटर बाद कलेक्टोरेट के बाहर सड़क पर बैरीकेट्स लगाए गए हैं। यहां पर पुलिस एवं सीएफ के करीब 100 जवान तैनात रहेंगे। इसके बाद कार्यालय में मुख्य द्वार के बाद मेटल डिटेक्टर से जांच की जाएगी। यहां पर गेट में लोहे की चेन भी बांधकर लोगों को लाइन बनाकर अंदर भेजा जाएगा। ताकि कोई भगदड़ ना हो। इसके बाद नामांकन कक्ष के बाहर ही बांस एवं लोहे के ड्रम का सहारा लेकर सेना की तरह अस्थायी बैरीकेट्स बनाए गए हैं। यहां पर टीआई आरआई एवं डीएसपी रैंक के अफसर सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। नामांकन के दौरान यहां से प्रत्याशियों को अपने साथ केवल 4 समर्थकों को ही अंदर ले जाने की अनुमति मिलेगी।

लोक अदालत 20 को, तैयारी को लेकर हुई बैठक

रायगढ़। चेक अनादरण संबंधी मामले अंतर्गत 20 अप्रैल को वृहद लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसके संबंध में जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के अध्यक्ष रमाशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में स्थानीय बैंक अधिकारियों, चेम्बर आफ कामर्स के प्रतिनिधियों तथा अधिवक्ता संघ फाइनेन्स कंपनियों के साथ परिचर्चा के लिए जिला न्यायालय स्थित सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में वृहद लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार पर, न्यायालयों में धारा अधिनियम के अधिकाधिक मामलों के निराकरण के प्रयास हेतु उठाये जाने वाले स्टेप पर न्यायालयों में लम्बित उक्त धारा के अन्तर्गत मामलों में उभय पक्षकारों को नोटिस की समयावधि में तामीली एवं अपनाई जाने वाले प्रक्रियाओं पर तथा बैंक, चेम्बर आफ कामर्स, फाइनेन्स कंपनी की धारा अधिनियम के मामलों में आ रही समस्याओं एवं उनके निदान के विषय पर तथा अधिवक्ताओं द्वारा पक्षकारों को राजीनामा हेतु प्रोत्साहित कर किश्तों में अदायगी एवं अन्य जानकारी, समझाईश दिये जाने एवं अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

पुलवामा हमले में फिसली जुबान, गोमती को आयोग का नोटिस

रायगढ़। जम्मू काश्मीर के पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए भाजपा प्रत्याशी की जुबान फिसल गई। रायगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी गोमती साय ने पाकिस्तान पर हमले एवं सेना की एयर स्ट्राइक की तारीफ करने वाला सार्वजनिक बयान दिया था जिसके बाद आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग के आदेशों का उल्लंघन बताकर प्रशासन ने नोटिस थमा दिया है।

रायगढ़ लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी गोमती साय को पुलवामा हमले में बयान देना भारी पड़ गया है। टिकट मिलने के बाद गोमती का रायगढ़ में पहला आगमन हुआ तो उन्होंने जम्मू काश्मीर के पुलवामा में हुए हमले का जिक्र किया था। प्रत्याशी ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया था कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर हमला और सेना की कार्रवाई हमारे देश का सबसे बड़ा कदम है। अब उनके इस बयान पर निर्वाचन आयोग के आदेश का हवाला देकर अफसरों ने गलती पकड़ ली है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने पुलवामा अटैक के बाद सेना एवं सैनिकों के फोटो, वीडियो एवं अन्य समाचार राजनैतिक पार्टियों को साझा नहीं करने कहा था और अपने सोशल मीडिया एवं चुनाव प्रचार प्रसार में भी इसका जिक्र नहीं करने कहा था। इस संबंध में कलेक्टर ने जिले में राजनैतिक पार्टियों की बैठक लेकर भी आयोग के इस फैसले से अवगत कराया था और प्रिंटींग प्रेस संचालकों की भी बैठक लेकर उन्हें मिग राफेल एवं कैप्टन अभिनंदन के पोस्टर नहीं छापने का निर्देश दिया था लेकिन इस सबके बाद भी भाजपा प्रत्याशी गोमती साय ने पुलवामा हादसे का जिक्र कर लोगों का ध्यान खींचा है। यही कारण बताकर प्रशासन ने उनको नोटिस थमा दिया है और जवाब मांगा है।

हालांकि प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ पार्टी ने जवाब तो नहीं दिया है लेकिन पार्टी के जानकारों ने बताया कि आयोग ने शहीदों एवं पुलवामा हादसे के फोटो वीडियो शेयर नहीं करने का एलान किया था और इसमें सार्वजनिक बयान देने के संबंध में रोक का कहीं कोई जिक्र नहीं था। बताया जाता है कि निर्वाचन के इस नोटिस का जवाब देने से पहले पार्टी इसमें कानूनी सलाह भी ले रही है।

8 स्थायी वारंट तामिल

कोतरारोड़ द्वारा 4 तथा खरसिया और घरघोड़ा द्वारा 2-2 स्थायी वारंट किये गये तामिल

गत तीन माह में करीब 745 वारंट हुये तामिल

रायगढ़। थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा लंबित स्थायी/गिरफ्तारी वारंटियों की तामिली थाना स्तर पर टीम बनाकर की जा रही है। प्रतिदिन थाना/चौकी में समंस/वारंट की तामिली गठित टीमों द्वारा की जा रही है आज 27 मार्च को थाना कोतरारोड़ से 04 तथा खरसिया एवं घरघोड़ा से 2-2 स्थायी वारंट तामिल किये गये है। पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा प्रतिमाह लंबित समंस/वारंटों की समीक्षा की जाती है व अधिक से अधिक समंस/वारंटों की तामिली हो इसके लिए समय-समय पर अभियान चलाया जाता है।

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल की जिले में पदस्थापना के मात्र 03 महिनों में 170 स्थायी वारंट, 575 गिरफ्तारी वारंटों की तामिली की गई है। लागू आचार संहिता के बाद से स्थायी/गिरफ्तारी वारंट की तामिली में वृद्धि आयी है।

राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को चेंबर ने रायगढ़ की समस्याओं से अवगत कराया

नजूल पट्टों का नवीनीकरण और डायवर्सन बनी हुई है बड़ी समस्या

रायगढ़। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इकाई रायगढ़ ने प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को रायगढ़ में राजस्व विभाग से हो रही परेशानियों से अवगत कराते हुए उन्हें अपने मांग और सुझाव पत्र सौंपे इस संबंध में जानकारी देते हुए अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल एवं महामंत्री हीरा मोटवानी ने बताया कि उन्होंने सन 1992 में समाप्त हुए पट्टों की वैधता को आज दिनांक तक नवीनीकृत नहीं किए जाने संबंधी मांग को प्रमुखता से उठाया।

साथ ही कृषि भूमि का उपयोग बदलकर उद्योग लगाने हेतु शासनद्वारा जारी परिपत्र का रायगढ़ में क्रियान्वयन नहीं होने संबंधी तथ्य पर उनका ध्यान आकर्षित किया। वहीं शासन द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार 1200 वर्ग मीटर तक की भूमि के प्रकरणों का उपयोग परिवर्तन दूसरी भाषा में डायवर्सन करने हेतु विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेने संबंधी आदेश के क्रियान्वयन ना होने की जानकारी देते हुए यह सुझाव भी दिया कि 1200 वर्ग मीटर तक की सीमा शहरी पट्टों के नवीनीकरण के संबंध में भी लागू की जाए और इसे तत्काल क्रियान्वित किया जाए।

चेंबर ने राजस्व मंत्री का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि पटवारी नक्शे और शासन द्वारा सॉफ्टवेयर में जारी भू नक्शे के उसी अनुपात में प्रिंट निकालने के बाद भी जमीन में 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक का फर्क आ रहा है इस तकनीकी त्रुटि को सुधारने हेतु निवेदन किया।

ओडिसा के रास्ते मोटर सायकल से सोने के अभूषण लेकर आते 2 संदिग्ध व्यक्तियों को सरिया पुलिस ने पकड़ा

पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के बार्डरों में विशेष निगाह रखने के दिये गये हैं निर्देश

पकड़े गये 52 तोला सोने के आभूषणों की कीमत करीब 16 लाख 50 हजार रूपये

रायगढ़। आम चुनाव 2019 को देखते हुए जिले के अंदर तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकाबंदी कर आने-जाने वाले वाहनों की चेकिंग पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा सभी थाना/चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र के होटल, ढाबा, लॉज की नियमित रूप से चेकिंग करने तथा वारंटियों की धरपकड़ करने के निर्देश दिये है। साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना/

चौकी में प्रतिदिन की कार्यवाहियों की समीक्षा स्वतः की जा रही है।

इसी तारतम्य में आज 27 मार्च को थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक आशीष वासनिक अपने हमराह स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग करते हुये दोपहर करीब 1 बजे ग्राम कंचनपुर पहुंचे और स्टाफ के साथ आने-जाने वाले वाहनों की चेकिंग करने लगे । इसी दरम्यान दो व्यक्ति मोटरसाइकिल हौंडा यूनिकान OD 17 Q - 1798 में आये जो हाथ में झोला पकड़े हुये थे। कर्मचारियों द्वारा झोले के चेक करने पर उसमें सोने के नये आभूषण मिला।

थाना प्रभारी निरीक्षक वासनिक ने दोनों व्यक्तियों से आभूषण के संबंध में पूछताछ किया तो दोनों गोलमोल जवाब देने लगे तथा आभूषणों के संबंध में कोई बिल, दस्तावेज मौके पर पेश नही किये। पुलिस दोनो व्यक्तियों को लेकर थाने आयी है जिनके विरूद्ध थाना सरिया में अप.क्र. 01/19 धारा 41 (1+4) CrPC/379 IPC की कार्यवाही कर आभूषणों को जप्त किया गया है।

आरोपीगण के नाम

1 -शेख मुकरमुद्दीन पिता अनवर उम्र 34 वर्ष निवासी मिदनापुर वेस्ट बंगाल

2 -शेष हकीमुद्दीन पिता आजीमुद्दीन उम्र 22 वर्ष निवासी झाड़ग्राम वेस्ट बंगाल

आरोपियों से जप्त सम्पत्ति

1 - 520 ग्राम (52 तोला) सोने के नये आभूषण जिनमे कान के लटकन हार व चूड़ियां है, कीमत 16 लाख 50 हजार।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा अधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL

HINDI & ENGLISH MEDIUM SCHOOL

स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996

पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ...

ADMISSION OPEN

ENGLISH MEDIUM

For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session

Topper Students Last Session

Major Facts

1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

Join CAREER...

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480